न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र
पीठासीनः निहारिका चौहान, एच0जे0एस0 (जे0ओ0 कोड–6252)
सत्र परीक्षण संख्या–235 सन् 2022 **(मु0अ0सं0–120/2021)**
राज्य **बनाम** सोनू गुप्ता
धारा–305 भा0दं0सं0
थाना–शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र

<u>–:आरोपः–</u>

मैं, **निहारिका चौहान,** अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र आप अभियुक्त **सोनू गुप्ता** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि आपने वादी मुकदमा राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 दशरथ यादव, निवासी ग्राम कोहरौलिया, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र की पुत्री संध्या उम्र लगभग 15 वर्ष को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे प्रताड़ित करते थे तथा दिनांक 08.09.2021 की शाम को आपने वादी मुकदमा की पुत्री सन्ध्या को फोन करके उसे भला बुरा कह कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिसके फलस्वरूप वादी मुकदमा की पुत्री सन्ध्या ने दिनांक 08/09 सितम्बर, 2021 की रात में अपने घर के आंगन में टिन सेड में लगी बल्ली में रस्सी बांध कर गले में फंदा लगाकर आत्म हत्या कर ली। इस प्रकार आपने वादी मुकदमा की पुत्री अवयस्क पुत्री संध्या जो कि मत्तता की अवस्था में थी, को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। आपके द्वारा किया गया अपराध भा0दं0सं0 की धारा–305 के अंतर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–23.05.2022

(निहारिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3,
सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–23.05.2022

(निहारिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3,
सोनभद्र

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सोनभद्र
पीठासीनः निहारिका चौहान, एच0जे0एस0 (जे0ओ0 कोड–6252)
सत्र परीक्षण संख्या–235 सन् 2022 **(मु0अ0सं0–120 / 2021)**
राज्य **बनाम** सोनू गुप्ता
धारा–305 भा0दं0सं0
थाना–शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र

<u>–ःआदेश पत्रकः–</u>

<u>23.05.2022</u>–

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त सोनू गुप्ता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया।

सत्र परीक्षण आज बहस आरोप हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष को आरोप के प्रश्न पर सुना गया।

उभय पक्ष के तर्को को सुनने, केस डायरी व प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त सोनू गुप्ता के विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा–305 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित कर कार्यवाही अग्रसर किये जाने का आधार पर्याप्त है।

तद्नुसार अभियुक्त सोनू गुप्ता के विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा–305 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप अलग पन्ने पर विरचित किया गया। विरचित आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक–16.06.2022 को पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3,
सोनभद्र